पाल, लोक अधिसूचना
कर सकेंगे ।
रिभाषित है, एक ग्राम

क से अधिक ग्रामसभा

अर्थात् अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के लिये विशेष अध्याय में विशेष उपबंध (special provisions) हैं ।

धारा 129-ग. ग्राम सभा की शक्तियाँ और कृत्य- किसी अनुसूचित क्षेत्र में, ग्राम सभा को धारा 7 के अधीन प्राप्त शक्तियों तथा कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियाँ तथा कृत्य भी होंगे अर्थात् :-

(एक) व्यक्तियों की परम्पराओं तथा रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों को तथा विवादों के निराकरण के रूढ़िगत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित करना;

(दो) .....

(तीन) ग्राम के क्षेत्र के भीतर के प्राकृतिक स्रोतों को, जिनके अन्तर्गत भूमि, जल तथा वन आते हैं उसकी परम्परा के अनुसार और संविधान के उपबंधों के अनुरूप और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों की भावना का सम्यक् ध्यान रखते हुए प्रबन्ध करना;

(चार) .....

(पांच) ग्राम के बाजारों तथा मेलों को, जिनमें पशुमेला सम्मिलित है, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाएं; ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रबंध करना;

(छह) स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप-योजनाएं सम्मिलित हैं, तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना; और

(सात) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करना जिसे राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे या न्यस्त करे ।

धारा 129-घ. ग्राम पंचायत के कृत्य.- इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी अनुसूचित क्षेत्र में, ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा के साधारण अधीक्षण, नियंत्रण तथा निदेश के अधीन निम्नलिखित शक्तियाँ भी होंगी, अर्थात् :-

(एक) .....

(दो) ग्राम के बाजारों तथा मेलों का जिनमें पशुमेला सम्मिलित है, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जायें प्रबंध करना;

(तीन) .....

(चार) .....

(पांच) .....

(छह) .....

(सात) स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप-योजनाएं सम्मिलित हैं, तथा ऐसी योजनाओं के लिए स्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना; और

(आठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करना जिसे राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे या न्यस्त करे ।

धारा 129-ङ स्थानों का आरक्षण.- (1) अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में